अनसुनी आवाजों के अधिकारों को स्वीकारना

अपूर्वा पटेल

जैसा कि गैब्रिऐला मिस्ट्राल (1948) ने सही कहा है, कि – "हम बहुत–सी भूलें और गलतियाँ करने के दोषी हैं, पर हमारा सबसे बड़ा अपराध यह है कि हमने अपने बच्चों की उचित परवाह न करते हुए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है, और उनके जीवन की बुनियाद की हमने कोई परवाह नहीं की। हमारी खुद की बहुत–सी जरूरतों के लिए इंतजार किया जा सकता है। पर बच्चा इंतजार नहीं कर सकता। यही समय है जब उसकी हड्डियाँ आकार ले रही हैं, उसके शरीर में रक्त बन रहा है और उसकी इन्द्रियों का विकास हो रहा है। उसे हम "कल" पर नहीं टाल सकते। उसके लिए हमारे पास एक ही जवाब होना चाहिए "आज"।"

प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा यानी पूर्व–स्कूल वाले वर्ष, वह समय होता है जब बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों को समाहित करते हुए एक समग्रतावादी पाठ्यक्रम विकसित किया जाता है। बच्चे के लिए संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई और भावनात्मक विकास का एक–सा महत्त्व होता है। इन सन्दर्भों में ई.सी.ई. बच्चों के लिए दूसरों के साथ मेलजोल करने, स्नेह और प्रेरणा के भाव जगाने तथा खोजबीन करने के माध्यम से सीखने के मौके प्रदान करती है। वह छोटे बच्चों के सम्पूर्ण विकास में योगदान करती है और खेल पद्धति की गतिविधियों और सामानों का उपयोग करके उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती है।

यह बात विश्व भर में स्वीकृत है कि बाल जीवन के पहले आठ साल सारे जीवन के विकास का आधार रखने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ष होते हैं और इसके पीछे कई ज्ञात कारण हैं। इस क्षेत्र में किए गए कई शोध अध्ययन ऐसे विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जिनसे यह साबित होता है कि, 'प्रारम्भिक वर्षों में मस्तिष्क का अनुभव–आधारित विकास उन तंत्रिका सम्बन्धी और जैविक रास्तों को खोलता है जो जीवन भर के लिए बच्चों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और बर्ताव को प्रभावित करते हैं'। (उदाहरण के लिएः चटर्जी पी., 2007। आर्थिक तरक्की के बावजूद भारत में कुपोषण बढ़ रहा है। लैन्सेट)

जमीनी स्तर पर कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण अवलोकन हैं जो ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों को सही ढंग से जमीनी हकीकत में तबदील न कर पाने से जुड़ी समस्याओं और चिन्ताओं को उठाते हैं:

- सीखने की प्रारम्भिक गतिविधियों और पोषण प्रदान करने की सेवाओं जैसी प्रारम्भिक बाल्यावस्था से जुड़ी विभिन्न सरकारी सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद कई बच्चों/परिवारों की इन सेवाओं तक पहुँच या तो बहुत कम होती है, या उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता ऐसी होती है कि उसकी वजह से इन लोगों की पहुँच सीमित हो जाती है या वे पहुँच से पूरी तरह दूर हो जाते हैं।
- बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, प्रारम्भिक शिक्षा और विकास से सम्बद्ध विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच सहमति को सुगम बनाने के विशेष प्रयासों के बावजूद अभी भी अधिकारियों और परिवारों के बीच समन्वय और तालमेल की कमी है तथा ई.सी.सी.ई. को लेकर जागरूकता और स्पष्टता का भी अभाव है।
- सभी स्तरों पर नीतिगत और क्रियान्वयन सम्बन्धी रूपरेखा, देखरेख व निगरानी का अभाव एक अन्य ऐसा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर तुरन्त ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

आगे किया गया वर्णन सीधे जमीन पर (बुनियादी रूप से, एक बड़ी छतरी के नीचे दो मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए) किया गया अवलोकन है जो 'निष्पक्षता और समावेशन' के दृष्टिकोण से ई.सी.ई. केन्द्रों की एक दूसरी तस्वीर पेश करता है।

उत्तरकाशी जिले के कुछ संकुलों के ई.सी.ई. आँगनवाड़ी केन्द्रों पर जब मैं गई तो निष्पक्षता और समावेशन का बहुत स्पष्ट उदाहरण मेरे सामने आया जिससे कि इस फलसफे पर भरोसा किया जा सकता है कि, "हमारा कार्य प्रेम की तलाश नहीं है, बल्कि सिर्फ हमारे भीतर ही उन सभी बाधाओं और अवरोधों को तलाशना है जो हमने प्रेम के विरुद्ध खड़े कर रखे हैं।"

निस्सन्देह, अगर आँगनवाड़ी केन्द्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए तो निष्पक्षता और समावेशन के मुद्दे पर बहुत–सी बातें सराहनीय हैं। पर कई सकारात्मक पहलुओं के साथ कई नकारात्मक पहलू भी मौजूद हैं। पक्षपात या बहिष्कार तब होता है जब किसी के वश के बाहर की विभिन्न स्थितियों के खिलाफ व्यवस्थित ढंग से भेदभाव बरता जाए। ऐसी ही एक स्थिति है भिन्न क्षमताओं वाले बच्चे जिन्हें विशेष ध्यान और देखरेख की जरूरत होती है। इसके विविध कारण हो सकते हैं पर सामाजिक कारण (जिनकी गहरी जड़ें सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराओं में होती हैं) इस बहिष्कार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।

भिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के साथ या तो सहानुभूति दिखाने वाला बर्ताव किया जाता है या फिर कई ऐसी बातें होती हैं जिनसे ये बच्चे खुद को असामान्य महसूस करने लगते हैं। जैसे कि आँगनवाड़ी केन्द्रों में उन्हें दूसरे बच्चों से अलग रखा जाता है या उन्हें ऐसी विशेष छूटें दी जाती हैं जिनकी वजह से अन्य बच्चों/बाहरी लोगों का ध्यान उन पर जाता है, या फिर आगन्तुकों से उनका परिचय अलग ढंग से कराया जाता है। कभी–कभी उनके शरीर के किसी अंग के ठीक से काम न कर पाने के बहुत जाहिर कारणों का भी बार–बार उल्लेख किया जाता है। इन केन्द्रों पर किए गए भ्रमणों में तथा आँगनवाड़ी शिक्षकों या सहायकों के साथ बात करने पर ये चीजें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आईं। जाहिर है कि इसका असर इन बच्चों के आत्मविश्वास, प्रतिक्रिया देने की क्षमता, अभिव्यक्ति, मनोभावों और सहभागिता पर पड़ता है। इससे वे अपनी क्षमताओं के प्रति अनावश्यक रूप से संवेदनशील हो जाते हैं।

जहाँ तक निष्पक्षता की बात है, तो इसके लिए बच्चे की विभिन्न प्रकार की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है और उन खास जरूरतों को पूरा कर सकने के तरीकों को ईजाद करने का लक्ष्य रखा जाता है। ई.सी.ई. के स्तर पर, विशेष जरूरतों वाले बच्चों का खास ध्यान रखने के अलावा, कक्षा, परिवार या समाज के भीतर तमाम तरह की सुविधाओं तक पहुँचने या उनका उपयोग करने में इन बच्चों की सापेक्षिक विषमताओं या असुविधाओं (इस मामले में, मनोविज्ञानी या भावनात्मक, शारीरिक इत्यादि) के बारे में जागरूक रहना भी जरूरी है।

यहाँ विचार का विषय इन असुविधाओं से निपटने के लिए की जाने वाली सेवाओं का प्रावधान है। एक बड़े स्तर पर देखें तो यह सुविधाओं तक उन लोगों की पहुँच बनाने का सवाल है जिनका ऐसी संस्थाओं में कोई खास प्रतिनिधित्व नहीं होता या जो अपनी माँगों को सही ढंग से सामने नहीं रख पाते।

समावेशन की इस प्रक्रिया का सम्बन्ध सिर्फ सेवाओं तक इन लोगों की पहुँच बनाना ही नहीं है (जो आँगनवाड़ी केन्द्रों की एक प्रमुख जिम्मेदारी है), बल्कि इसका अर्थ इनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया में लोगों को भागीदार बनाना, उनकी जरूरतों को स्वीकार करना, नियोजन और सेवा आपूर्ति के प्रबन्धन में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देना, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देना तथा उनमें जागरूकता बढ़ाना व इस बारे में शिक्षित करना है।

इस प्रकार अलग–अलग बच्चों की अपनी विशिष्ट जरूरतों को पहचानना और समझना (हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है) तथा उपयुक्त समाधानों को पहचानना, आगे बढ़ाना और लागू करना बहुत जरूरी है।

एक और महत्त्वपूर्ण समस्या है जिस पर ऐसा प्रतीत होता है कि आँगनवाड़ी केन्द्रों में अकसर ही ध्यान नहीं दिया जाता। वह है स्वच्छता सुविधाएँ और स्वास्थ्य सम्बन्धी आदतों का नदारद होना। हालाँकि हमारे जैसे देश के लिए जरूरी स्वच्छता का प्रावधान और उसे सर्वत्र लागू करना (जिसमें सार्वजनिक संस्थाएँ भी शामिल हैं) हमेशा ही एक चुनौती रही है। लेकिन आज भी यह एक शर्मनाक सत्य है कि आँगनवाड़ी केन्द्रों पर आने वाले ये बच्चे खुले में शौच करते हैं; जो इन बच्चों के सबसे अधिक बीमारियों के शिकार बनने की भयावह हकीकत की तथा उनके बीच स्वास्थ्य के खराब स्तरों की एक बड़ी वजह है। यहाँ जो सवाल खड़े होते हैं कि – आखिर ये बच्चे हैं कौन, उनका वास्ता किससे है, वे

किसकी जिम्मेदारी हैं, उन्हें अलग क्यों छोड़ दिया जाता है, उन तक विभिन्न सुविधाएँ क्यों नहीं पहुँचतीं, वे क्यों उन सुविधाओं का उपयोग नहीं करते या उन जरूरी आदतों का पालन नहीं करते जो उनके अपने स्वास्थ्य और शारीरिक स्वच्छता के लिए बेहद अहम हैं।

इस समस्या के पीछे जो अवलोकन और विश्लेषण किया गया है वह पहले से ज्ञात तथ्य को और मजबूती देता है: कि निष्पक्षता और समावेशन ऐसे मसले हैं जो केवल जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, आर्थिक दर्जे इत्यादि पर आधारित कोई भेदभाव न होने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका अर्थ यह है कि सभी वर्गों के लोगों तक पहुँचा जाए और उनकी सुविधाओं का खयाल रखा जाए। साथ ही किसी भी कारण से उन्हें इन सुविधाओं से वंचित न किया जाए।

आँगनवाड़ी केन्द्रों के मामले में स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी आदतों की अनदेखी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इन्हें अमल में लाने के लिए आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या सहायकों की तरफ से अलग से प्रयास और मेहनत करने की जरूरत होती है, क्योंकि इन केन्द्रों पर आने वाले बच्चे 2.5–6 वर्ष के आयु–वर्ग के होते हैं। यदि ऐसा नहीं भी हो, तो भी काम के प्रति प्रतिबद्धता दिखा देने से बात नहीं बनेगी, जब तक कि नीतियाँ, जरूरी निवेश और क्रियान्वयन, निष्पक्षता व बराबरी के सिद्धान्त पर आधारित न हों, जो मौलिक रूप से न्याय का सिद्धान्त है। निष्पक्षता और समावेशन में यह स्वीकृति शामिल है कि हर बच्चा अलग है और उसे विशेष सहयोग और देखरेख की, तथा विभिन्न सुविधाओं तक पहुँचने और उन्हें लगातार उपयोग कर सकने में उसे आने वाली खास रुकावटों को दूर करने के जरूरी उपायों की जरूरत होती है।

इस क्षेत्र में की गई अवलोकन यात्रा मेरे लिए लोगों के दिलो–दिमाग के उन कोनों तक पहुँचने और उनके परे जाने का एक अद्‌भुत अभियान रहा है, जिन्हें मैं हमेशा से खंगालना चाहती थी और उनके साथ काम करना चाहती थी। उन मासूम, अनिश्चित सम्भावनाओं वाली जिन्दगियों तथा ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों के पीछे के संघर्षों, सपनों, सफलताओं और भावना के अचरज भरे संसार को याद करते हुए मुझे बेहद हृदयस्पर्शी घटनाओं और मुलाकातों का स्मरण आता हैं। मैं नीचे कुछ ऐसे सुझाव दे रही हूँ जो ई.सी.ई. कार्यक्रम की रूपरेखा को और उसकी प्रभावशीलता को सुधारने में काफी मदद कर सकते हैं:

- अच्छी परवरिश की जरूरत तथा आई.सी.डी.एस. के अंश के रूप में प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के महत्त्व को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए (छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही उड़ान यात्रा की तर्ज पर) एक जन जागरण अभियान चलाना।
- जमीनी हकीकतों का साझा आकलन करना और आई.सी.डी.एस. को मजबूत बनाने के लिए उपयुक्त नीतियों और उनके क्रियान्वयन हेतु रणनीतियाँ सुझाना।
- ई.सी.ई. पद्धति के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की प्रभावशीलता का, उसकी अवधारणा, नियोजन और संसाधनों के आबंटन से लेकर सरकार के भीतर अन्तर–विभागीय समन्वय और मौजूदा क्षमताओं, सामग्री के विकास की प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन योजना तथा कार्यविधि तक की दृष्टि से समग्र आकलन करना।
- ऊपर उल्लिखित बातों के अलावा ई.सी.ई./ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम को लागू करने वाली ई.सी.ई./आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को बढ़ाने के सन्दर्भ में कार्यक्रम से जुड़ी प्रक्रियाओं, चुनौतियों और परिणामों की समीक्षा करना।
- विभिन्न भागीदारों के बीच सहमति को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण, निगरानी प्रक्रियाओं जैसी उपयुक्त क्रियान्वयन नीतियों को जाँच–परखकर सुझाना, तथा ई.सी.ई. के घटक (जैसे ई.सी.सी.ई.) को महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.) विभाग से निकालकर शिक्षा विभाग (सर्व शिक्षा अभियान) में लाना और उसे आगे सहयोग प्रदान करना।
- सामग्री के विकास और वितरण, संसाधनों के आबंटन व प्रशिक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं, चुनौतियों और व्यवधानों को समझना तथा ई.सी.ई. को स्थापित और क्रियान्वित करने में शामिल कार्यकर्ताओं के कामकाज की, दूसरे विभागों के बीच आपसी समन्वय की तथा प्रत्येक सहभागी द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं की जाँच और निगरानी करना। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ई.सी.ई. को मजबूत बनाने की रणनीतियाँ तैयार करना।

- ई.सी.ई. में अच्छा प्रदर्शन कर रहे राज्यों के अनुभवों, उनकी आशाजनक कार्यपद्धतियों और वहाँ से हासिल सीखों को दस्तावेजों का रूप देना और उनका प्रसार करना। साथ ही ऐसे प्रतिरूपों को सुझाना जो आई.सी.डी.एस. के अंग के रूप में काम कर सकें। ये प्रयास लोगों में प्रेरणा और बदलाव की भावना जगाने वाले महत्त्वपूर्ण उपकरण का काम करेंगे।

अपूर्वा पटेल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई से समाज कार्य में एम.ए. किया है और 'स्वास्थ्य एवं विकास' उनका कार्यक्षेत्र है। उन्होंने एक शैक्षिक शोध भी किया है जिसका शीर्षक है, 'न्यूट्रीशनल हेल्थ स्टेटस ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन ऑफ रीवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश'। उन्हें 'स्वास्थ्य और पोषण' के क्षेत्र में, पूर्व–स्कूली बच्चों के बीच काम करने का जमीनी अनुभव प्राप्त है, जो उन्होंने मुम्बई के 'अपनालय' (रफीक नगर झुग्गी), और 'नवचेतना' (रायगढ़) जैसी संस्थाओं के साथ काम करके हासिल किया है। उनसे apoorva03.patel@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद** : भरत त्रिपाठी